कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्राँक 2558 / 14-5 दिनाँक, कानपुर देहात, 24.02.2024

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (खुदरा विक्रय),
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कानपुर मण्डलीय कार्यालय
पनकी, कानपुर–208020।

विषय:– जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रूरा–झींझक मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 सं0–01 (चैनेज 0.445 से 0.481 के मध्य) की बांयी पटरी पर गाटा संख्या–179, ग्राम–गुटैया, तहसील–अकबरपुर में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.2468 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(Online Proposal No. : FP/UP/Approach/46748/2020)

संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 06 / 185 / 2023 / एफ0सी0 / 523, दिनांक 21.02.2024।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर देहात की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05–05 प्रतियों सहित रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **बिन्दु संख्या–1** के अनुसार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–2 व 3** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही **0.2468 हे0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दोगुनी अवनत वनभूमि अर्थात 0.4936 हे0 पर 1000 पौधे प्रति हे0 की दर से कुल 494 पौधों** के रोपण हेतु भोगनीपुर रेन्ज के अन्तर्गत दिबैर वन ब्लॉक की अवनत वनभूमि पर दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु **रू0 88307/– (रू0 अट्ठासी हजार तीन सौ सात मात्र)** की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त योजना में बाद के वर्षो हेतु निर्धारित कार्यों हेतु अनुमानित लागत वृद्धि के उपयुक्त प्राविधान सम्मिलित हो सकते हैं, उक्त से सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–4** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात की 0.2468 हे0 संरक्षित वन भूमि का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं0 5–3 / 2011–एफसी दिनांक 06.01.2022 एवं दिनांक 19.01.2022 के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) **रू0 303216/– (रू0 तीन लाख तीन हजार दो सौ सोलह मात्र)** की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- **बिन्दु संख्या–5** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। क्षतिपूरक, एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि (मदवार विवरण सहित) E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- **बिन्दु संख्या–6** के अनुसार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सेपेरेटर आईलैण्ड को प्रभागीय वनाधिकारी के परामर्श से ग्रीन बेल्ट के रूप में संधारित करना होगा। उक्त ग्रीन बेल्ट हेतु भूमि की उपयुक्तता के आधार पर प्रजातियों का चयन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। ग्रीन बेल्ट योजना में यदि लागू हो तो रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) एवं सर्विस रोड की परिधि पर लगाई जाने वाली प्रजातियां भी सम्मिलित होंगी, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–7** के अनुसार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की परिधि सीमा से 1.5 मीटर की दूरी पर हल्के छत्र वाले पौधे 1.0 से 1.5 मीटर की दूरी पर पंक्तिबद्ध किये जायेंगे, जिससे रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता से समझौता किये बगैर हरित आवरण संधारित रहेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

- **बिन्दु संख्या–8** के अनुसार अधिकृत प्रयोक्ता अभिकरण एवं उपयोगतकर्ता एजेंसी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार अनिवार्य रूप से प्रवेश/निकास एवं सेपेरेटर आईलैण्ड पर वृक्षारोपण कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के दिशा–निर्देशों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–9** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर कार्यान्वित की जाने वाली प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्रीन बेल्ट योजना में रोपण हेतु चयनित प्रजातियों का विवरण एवं मौजूदा वृक्षों का विवरण सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रोपित किये गये पौधों की न्यूनतम छह माह तक की जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स संधारित की जायेंगी एवं आख्या प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेंगी एवं निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत की जायेंगी। मृत पौधो के स्थान पर नये पौधे लगाये जायेंगे। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–10** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। वृक्ष पातन की दशा में पूर्वानुमति प्राप्त कर न्यूनतम वृक्षों का पातन वन विभाग की देखरेख में किया जायेगा एवं वृक्षों के पातन पर होने वाला व्यय वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–11** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा जारी किए गए FRA, 2006 सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के अनुसार दिशा–निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।
- **बिन्दु संख्या–12** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जाएगा के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–13** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना के पश्चात पेट्रोल पम्प की परिधि में हरित घनत्व संरक्षित एवं संवर्धित किया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या–14** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग के मध्य रिक्त भूमि पर पौधरोपण कर उसका संरक्षण एवं संवर्धन किया जायेगा और सुरक्षा हेतु 2 फुट की दीवार का निर्माण किया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या–15** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प के अन्दर चाहरदीवारी के किनारे भी पौधरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन का कार्य किया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या–16** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण MORTH द्वारा दिनाँक 24.07.2013 को जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें।
- **बिन्दु संख्या–17** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पिलर पर कमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–18** के अनुसार प्रत्यावर्तन अवधि का अनुमोदन प्रयोक्ता एजेंसी की स्वीकृत लीज अवधि अथवा परियोजना की अवधि में से जो कम हो उसके सह सीमावर्ती होगा।
- **बिन्दु संख्या–19** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि एवं अन्य प्रस्तावित कार्यों की कार्ययोजना पालीगॉन आदि व आवश्यक विवरण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- **बिन्दु संख्या–20** के अनुसार उक्त अनुमोदन के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में MoEFCCh के द्वारा लागू होने वाले नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- **बिन्दु संख्या–21** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें।
- **बिन्दु संख्या–22** के अनुसार के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त समस्त निधियां यथा क्षतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक रखरखाव सहित, एन0पी0वी0 व अन्य वांछित धनराशि (मदवार विवरण सहित) E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा निधि में अंतरित/जमा की जायेगी तदोपरान्त रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- **बिन्दु संख्या–23** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या परिवेश ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात